न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – देवीलाल यादव (R.A.S.)
राजस्व प्रकरण संख्या : – 121/2013

उनवान

1. लालाराम पुत्र मगना जाति जाट निवासी ग्राम जसवंतपुरा, नसीराबाद
—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. सुखपाल पुत्र मगना
2. कल्याण पुत्र छीतर जाति जाट निवासी ग्राम जसवंतपुरा, नसीराबाद
3. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 से 2 अनुपस्थित
3 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 29/5/15

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि वादी की पुश्तैनी आराजी ग्राम रामपुरा हनुवतिंया में स्थित है जिसका वर्णन निम्न प्रकार है :—

चौसाला ख0न0	वंर्किग ख0न0	रकबा	हाल ख0न0	रकबा
937	591	0—1—0	292	3.51
	598	0—8—0		
935	591	0—15—0		
	589	4—0—0		
936	590	2—1—0		
919	591	1—19—0		

उपरोक्त आराजी चौसाला खसरा नम्बर 935, 936, 937 व 919 वादी व प्रतिवादी के पूर्वज छीतर पुत्र गणेश, भागीरथ पुत्र भूरा, रामकरण पुत्र देवा के नाम सन् फसली 1349 व खेवट ख्तौनी जमाबंदी सम्वत् 2018 से 2021 में काबिज काश्त खातेदार थे। वादी के पूर्वज की मृत्यु हो गयी है। जिनके वारिस वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है। उक्त आराजी के वर्किंग खसरा नम्बर 935, 936, 937, 919 व हाल खसरा नम्बर 292 रकबा 3.51 को पूर्व राजस्व अभिलेख अनुसार खतेदारी दर्ज करने की बजाय ... दर्ज कर दिया। अतः आराजी का खातेदार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को घोषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:24:48 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 2 प्रकरण मे अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा वंर्किग जमाबंदी में सिवायचक दर्ज है। ख0न0 919 फसली 1349 में रामकरण पुत्र देवा के नाम व खसरा नम्बर 935, 936, 937 की नकल सलंग्न नही है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :-

1. आया वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पूश्तैनी खातेदारी की है ?
-- वादी

2. आया वादी वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नम्बर 292 रकबा 3.51 त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया गया अतः वादी खातेदारी प्राप्तिका अधिकारी है ?
-- वादी

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा वादी का शपथ पत्र पेश किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

तनकी संख्या 1 :-

आराजी मुतनाजा चौसाला जमाबंदी, वंर्किग जमाबंदी व हाल जमाबंदी मे सिवायचक खाते में दर्ज है। वादी ने उक्त वाद फसली अभिलेख के आधार पर प्रस्तुत किया है। जबकि फसली के पश्चात की चौसाला जमाबंदी में उक्त आराजी वादी/पूर्वज के नाम खातेदारी दर्ज नही है। अजमेर जिले में राजसथान काश्तकारी अधिनियम 01.06.1958 को लागू हुआ था। उक्त दिनांक को वादी/पूर्वज आराजी मुतनाजा के खातेदार नही थे। वादी द्वारा आराजी मुतनाजा पूर्व राजस्व अभिलेख में खातेदारी होने का कोई ठोस प्रमाण भी पेश नही किया है। भूमि वादी की पुश्तैनी सिद्ध नही होती है। तनकी संख्या 1 विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :-

तनकी संख्या 1 के विवेचन से आराजी मुतनाजा वादी की पुश्तैनी सिद्व नही होती है। वादी का कथन है कि प्रतिकूल कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने। किन्तु वादी/पर्वूजों का उक्त आराजी पर प्रतिकूल कब्जा भी सिद्व नही होता है साथ ही सिवायचक आराजी पर प्रतिकूल कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है। भूमि चौसाला, जमाबंदी, वंर्किग जमाबंदी व हाल जमाबंदी में सिवायचक दर्ज है। अतः आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही हेता है। तनकी विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम रामपु[illegible] नम्बर 292 रकबा 3.51 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** कि[illegible] वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:24:48 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इक्लाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

लालाराम बनाम सुखपाल

दावा बाबत :— 88, 188, राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर — 121/2013
पेश करने की दिनांक — 19.08.13

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम रामपुरा हनु0 के हाल खसरा नम्बर 292 रकवा 3.51 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 29 माह 5 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:24:48 IST
Reason: SelfAttested